केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

दिनांक: 02 मार्च 2020

प्रेस प्रकाशनी

माता-पिता की सजगता के लिए सूचना

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली कक्षा X और XII परीक्षाओं के लिए विद्यालयों को संबद्ध करता है। यह बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ असंबद्ध विद्यालय जिनका आवेदन या तो संबद्धता के लिए प्रक्रियाधीन है, या बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, या उन्होंने संबद्धता के लिए आवेदन ही नहीं किया है, वे "सीबीएसई से संबद्ध होना है", "सीबीएसई पैटर्न", "सीबीएसई से संबद्ध होने की संभावना है", "सीबीएसई के तत्वावधान में चल रहा है" आदि जैसे संदेश दिखाते हुए विद्यालयों, प्रमुख स्थानों और वेबसाइट पर विभिन्न तरह से माता-पिता को गुमराह कर रहे हैं। यह नोट करें कि संबद्धता उपविधि, 2018 के खंड 14.2.2 के अनुसार, बोर्ड असंबद्ध विद्यालय को बोर्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों को बैठाने की अनुमति नहीं देता है।

अत: जो माता-पिता सीबीएसई संबद्ध विद्यालयों में अपने वार्ड को प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उन्हें सजग किया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वार्ड को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से पहले उस विद्यालय की संबद्धता स्थिति (जिसमें यह शामिल है कि बोर्ड द्वारा सम्बद्धता किस कक्षा तक दी गई है) की जाँच कर लें। इसके लिए माता-पिता सीबीएसई संबद्धता वेबसाइट www.cbseaff.nic.in देख सकते हैं जहां संबद्ध विद्यालयों की क्षेत्रवार / राज्यवार सूची का लिंक दिया गया है और उसी में असम्बद्ध विद्यालयों की सूची भी है। बोर्ड ने इस संबंध में एक परिपत्र संख्या 03/2020 दिनांक 29.02.2020 भी जारी किया है जिसे जनसामान्य द्वारा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर देखा जा सकता है।

इस मामले में आगे और स्पष्टीकरण के लिए, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची पूरे पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर दी गई है। यह जनहित में जारी किया जा रहा है।

Anurag Tripathi

अनुराग त्रिपाठी
सचिव